(51)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
61 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	31.08.2016	02.05.2019

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1. दूध विक्रेता श्री भवंरलाल शर्मा पुत्र राजाराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी शुक्लपुरा खेडा पोस्ट हतौना तहसील व जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

दिनांक 02.05.2019

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.05.2016 को समय 10.00 ए.एम. पर दौराने ए गस्त एनएच–12 इण्डस्ट्रीयल एरिया बायपास टोंक पर पंहुचा वहा पर पक्का बंधा की तरफ से टोंक की तरफ एक मोटरसाईकिल आ.जे. 26 एस.एल. 7408 की हीरो होण्डा एचएफ डिलक्स काले रंग की पर ड्रम लटकाकर श्री भवंरलाल शर्मा पुत्र राजाराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी शुक्लपुरा खेडा पोस्ट हतौना तहसील व जिला टोंक राज0 वास्ते दूध विक्रय करता आ रहा था को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर दूध का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर नही होना स्वीकार किया ।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु अपनी मोटरसाईकिल पर 20–20 लीटर क्षमता के 2 ड्रम एल्युमुनियम मे 25–30 लीटर मिश्रित दूध रखा था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. दूध विक्रता श्री भवंरलाल शर्मा को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता भवंरलाल शर्मा एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दूध विक्रता से मिश्रित दूध में से **2 लीटर दूध** वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत दूध विक्रता श्री भवंलाल शर्मा को रू0 70/–अक्षरे सत्तर रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **2 लीटर दूध** के चार भाग कर बराबर–बराबर तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखी कॉच की चार शिशियों में प्रत्येक शिशी में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक शीशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एव क्रमांक I–1340 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

760

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1340 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर दूध विक्रता श्री भवंरलाल शर्मा के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/2408 दिनांक 16.06.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/279/एक्ट/2016/329 दिनांक 26.05.2016 अनुसार भवंरलाल शर्मा से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **दूध** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **दूध** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सपठित धारा 49)का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51(सपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **दूध** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **दूध** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) की धारा 51 (सपठित धारा 49)के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री भवंरलाल शर्मा पुत्र राजाराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी शुक्लपुरा खेडा पोस्ट हतौना तहसील व जिला टोंक राज0 पर शास्ती 2100/– (अक्षरे इक्कीसो रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 02.05..2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0